III-treatment of patients in the Bhopal Memorial Hospital

† मोलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं आपके माध्यम से "भोपाल मैमोरियल अस्पताल" के डाक्टरों की ओर से रोगियों के साथ होने वाले अप्रिय व्यवहार के बारे में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह अस्पताल भोपाल गैस पीडितों के इलाज के लिए करोड़ों रूपयें की लागत से स्थापित किया गया था मगर डाक्टरों ओर कार्यकर्ताओं का व्यवहार रोगियों के साथ कितना दुखद है, इसका अंदाजा दैनिक "उर्दू ऐक्शन भोपाल" में छपी इस खबर से लगाया जा सकता है जिसमें स्पष्ट है कि अस्पताल में दादागिरी होने के साथ-साथ डाक्टरों के द्वारा रोगियों की मारपीट की गयी और इलाज नहीं किया गया। डॉक्टरों और अधिकारियों के इस रवैये पर मरीज नाराज है। रोगियों की भयभीत करके शायद वे यह चाहते है कि रोगी इलाज को न आएं। इन तथ्यों के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है? नि:संदेह इस तरह का सलूक मरीजों के प्रति एक जुर्म है क्योंकि अस्पतालों की स्थापना का उद्धेश्य रोगियों का इलाज ओर अनकी भलाई करना है न कि उनको भयभीय करना। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करे तािक भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और रोगी इलाज के साथ-साथ डॉक्टरों की तथा स्टाफ की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

Ban on use of Tobacco

SHRI MURLI DEORA (Maharashtra): Sir, the Supreme Court has recently directed that smoking must not be allowed in public places. Although several States have issued necessary orders in this direction, yet some States are still to take any action on it. It is, therefore, urged that the Central Government must issue appropriate directives immediately to such States to comply with the orders of the Supreme Court.

Since smoking causes irreparable loss to health, no promotional advertisement should be allowed.

Even in States where the orders banning smoking in public places have been issued, one can find people smoking in buses, trains, offices and various other public places. The law-enforcing authorities in these States should be directed to enforce the orders strictly and people violating the directives must be punished.

[†]Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

The Central Government should also issue necessary orders bringing down the percentage of tobacco used in products like gutka, pan masala, zarda, etc., and there should be strict quality control over the manufacturing of such products.

Tobacco products must not be sold to the children below the age of 21 years and no sales outlet of these products should be allowed to function within a radious of one kilometre of such schools/colleges.

The use of tobacco products should also be restricted to save people from diseases like cancer.

A portion of the revenue collected by the Government from tobacco products^ should be earmarked for cancer hospitals for treatment of such patients. Protecting the health of citizens is protecting the health of the nation. Hence it is the duty of the Government to ensure that use of tobacco by the people is minimised so that spread of killer diseases like cancer is checked.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): I associate myself with him, Sir. We can begin banning tobacco in public places with Parliament House itself.

SHRI B. S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): I also associate myself with him.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): I also associate myself with him, Sir.

Need to re-start purchase of mustard at support price in Rajasthan

डा. अवरार अहमद(राजस्थान): सभापित महोदय, मैं इस सदन का ध्यान राजस्थान में समर्थन मूल्य पर की जा रही सरसों की खरीद की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में सरसों की खरीद नैफेड की एक एजेंसी के रूप में राजफेड द्वारा की जा रही है। अब तक 2.93 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है जिसका मूल्य 400 करोड़ रूपए है। नैफेड द्वारा इसके बदले में अब तक केवल 158 करोड़ रूपए का भुगतान ही किया गया है ओर राज्य कि किसानों को 242 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना शेष है। नैफेड को रिज़र्व बैंक से अब तक फूड क्रेडिट लिमिट जारी नहीं हुई है। इसका खामियाजा राजस्थान के किसानों को भुगतान पड़ रहा है। नैफेड रिज़र्व बैंक डिफॉल्टर है। इसके पेटे आर.बी.आई. में 215 करोड़ से अधिक बकाया है जिसके कारण उक्त लिमिट जारी नहीं की जा रही है ओर वर्तमान 15000 मीट्रिक टन सरसों की प्रतिदिन खरीद हो रही है। अगर बाजार भाव यही रहा तो जून माह तक लगभग 6लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद करनी पड़ेगी जिसके लिए 880 करोड़ रूपए की आवश्यकता